

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 184/2022 वाद पत्र

जीसीएमएस नम्बर 2022/450

1. श्री पारसमल पिता भगवाना जी जाति मेघवाल आयु 35 साल निवासी सरलाई तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।
2. श्री मांगीलाल उर्फ मांगू पिता मेरा जी जाति मेघवाल आयु का साल निवासी सरलाई तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।

वादीगण

वनाम

1. श्री कंवरलाल पिता मांगीलाल जी जाति बलाई आयु वयरक निवासी महुडिया तहसील व जिला नीमच म० प्र० ।
2. श्री दिनेश पिता भगवाना जो जाति मेघवाल आयु वयरक निवासी सरलाई तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।
3. श्री शान्तिलाल पिता भगवाना जी जाति मेघवाल आयु वयरक निवासी सरलाई तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।
4. श्रीमति मोहनीबाई पुत्री भगवाना जी जी जाति मेघवाल आयु वयरक निवासी सरलाई हाल मुकाम पत्नि जीवनलाल जी मेघवाल निवासी कृपाराम जी की खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।
5. मु सोनीबाई बेवा भगवाना जी जाति मेघवाल आयु वयरक निवासी सरलाई तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।
6. राज्य सरकार जरिये भुमिदारी तहसीलदार निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० ।

प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956

1. प्रकरण आज वादी की और से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड एवं प्रतिवादी की और से अधिवक्ता श्री सुधीर कुमावत की उपस्थित में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत हुई। प्रकरण में दिनांक 18.01.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर 1000/-रूपये फीस पर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया गया कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा ग्राम सरलाई जमाबंदी संवत् 2077-2080 की खाता सं 135 में दर्ज आराजी नम्बर 213, 36 एवं 568 कुल किता 3 कुल रकबा 1.70 में मांगू पिता भेरा 1/18, कबरलाल पिता मांगीलाल 4/9, मु सोनीबाई पत्नि भगवाना 29/450, दिनेश पिता भगवाना 49/450, पारसमल पिता भगवाना 49/450, शान्तिलाल पिता भगवाना 49/450 तथा खाता संख्या 137 में दर्ज आराजी नम्बर 192, 203, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 290, 564, 565 कुल किता 11 कुल रकबा 7.03 है। मे मांगू पिता भेरा 1/2, सोनीबाई पत्नि भगवाना 3/50, दिनेश पिता भगवाना 11/100, पारसमल पिता 11/100, शान्तिलाल पिता भगवाना 11/100 एवं मोहनीबाई पिता 11/100, हिस्सानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बटवाडा किया जावे। त निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/492 दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो स्वीकार योग्य है। फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।



कलक्टर  
निम्बाहेडा

2 अतः वाद वादी कतई डिग्री किया जाता है। विवादित भूमि काक नोजा सरलाई पटवार हल्का कोटडीकला तहसील निम्बाहेडा का बंटवारा करिखेन हें मध्य निम्नानुसार किया जाता है:-

1.- मांगीलाल पिता भेरा मेघवाल सा. देह खातेदार खन बटस्तुर

आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	लगान (रुपये)
192	0.42	7.98
203 दक्षिण, उत्तर-पश्चिम	0.60	11.40
211 पूर्व	0.14	4.40
290 उत्तर	0.02	
565	1.70	12.25
568	0.25	1.30
217	0.36	6.84

किता-7 कुल रकबा 3.49 हेक्टेयर 44.17 रुपये

2.- श्री पारसमल, कंवरलाल दिनेश, रामिलाल, मोहनबाई पिता भगवाना मेघवाल सा. देह खातेदार

आ0न.	रकबा(हे0)	लगान
203 उत्तर मध्य	0.60	11.40
211 पश्चिम	0.15	4.45
214	0.64	12.16
215	0.19	3.61
216	0.01	-
217	0.20	3.80
564	1.82	17.29
213	0.42	12.81
568	0.25	1.30
290	0.02	-

किता-10 कुल रकबा 4.30 हेक्टेयर 65.82 रुपये

3 श्री कंवरलाल पिता मांगीलाल बलाई सा. महुडिया, नीमच, मध्यप्रदेश

आ0न.	रकबा(हे0)	लगान
36	0.76	14.44

किता-1 कुल रकबा 0.76 हेक्टेयर 14.44 रुपये

आराजी संख्या 212 रकबा 0.11 हे0 आ.चाह, आराजी संख्या 568 रकबा 0.02 हे0 एवं आराजी संख्या 565 रकबा 0.05 हे0 किता 02 रकबा 0.07 हे0 पहुँच मार्ग हेतु।



सहायक कलक्टर  
निम्बाहेडा

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिक्तेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आज तारीख 04.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।





(विकास पचोली)  
सहायक कलक्टर  
निम्बाहेडा  
सहायक कलक्टर  
निम्बाहेडा